

FINAL REPORT 5091/2022
IN THE COURT OF
Spl. Chief Judicial Magistrate AT, Meerut
अमरदीप बनाम अज्ञात

धारा 417 भा०दं०सं०
मु०अ०सं०- 649/2019
थाना परतापुर, मेरठ।

दिनांक- 13.12.2025

आज यह पत्रावली लोक अदालत में पेश की गयी। वादी मुकदमा हाजिर नहीं है। साक्ष्य के अभाव में विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या दाखिल की गयी है। वादी बाद तामीला भी हाजिर नहीं है। ऐसा लगता है कि वादी को उक्त प्रकरण में कोई रुचि नहीं रह गयी है।

अतः उक्त परिस्थितियों में वाद को लम्बित रखने का कोई औचित्य व आधार नहीं है। अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गेश नंदिनी)
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद — मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 1974